(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 173–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील व जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 6/अ–70/14–15.

.....

राकेश लोधी आ0 गुलाबसिंह लोधी
निवासी आनन्द नगर, भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–विनय पर्वत ढौरे आ0 पी0एस0ढौरे
निवासी रॉयल सिटी उप जेल के पास,
विदिशा म0प्र0
2–भागवती बाई बेवा भीकमसिंह
निवासी ग्राम मोरी कोढ़ी
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक–आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय से दिनांक 20–6–2014 को ग्राम मोरी कोढ़ी तहसील व जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा कमांक 6/3 रकबा 0.07 एकड़ एवं खसरा कमांक 7 रकबा 0.26 एकड़ भूमि का सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में करवाया गया जिसमें आवेदक का खसरा कमांक 7 रकबा 0.26 एकड़ में से रकबा 0.10 एकड़ पर अवैध कब्जा बताया गया । अनावेदक कमांक 1 द्वारा सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके तारतम्य में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना पत्र तामील नहीं कराये गये, जबकि आवेदक पड़ोसी कृषक है और आवेदक का सीमांकन में कब्जा भी बताया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अनावेदकगण से जबाव मॉगा और न ही आवेदक एवं अनावेदकगण के तर्क श्रवण किये गये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–11–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिये अंतरिम आदेश सकारण बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जो सीमांकन कराया गया था वह आवेदक की अनुपस्थिति में उसे सूचना दिये बिना पारित कराया गया है, इस कारण ऐसे

सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 आकर्षित नहीं होती है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन आवेदन पत्र निरस्त करने में आदेश विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष प्रचलित संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित किया जाना है, अतः आवेदक अंतिम तर्क के समय आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर